कार्यालय पुलिस अधीक्षक,जनपद चंदौली

प्रेस नोट दिनांक- 11.09.2026

□थाना अलीनगर पुलिस टीम व आरपीएफ पुलिस टीम द्वारा सयुंक्त कार्यवाही में कुल 9.127 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ 03 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

□बरामद गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 02 लाख रूपयें।

चंदौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन/ पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर गगनराज सिह के कुशल नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम व आरपीएफ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 10.09.2026 को समय करीब 20.25 बजे डीएफसीसीआईएल लाईन के पास (पेड़ के नीचे वहद मान सरोवर पोखरा के पास) 03 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना नाम 1. उदय कुमार पुत्र सच्चिदानन्द राय निवासी नया टोला खिरोधर पुर थाना फतुआ जिला पटना बिहार उसके कब्जे से ग्रे कलर के बैग से तीन बंडल अवैध गांजा बरामद हुआ।

2.शम्भू कुमार पुत्र बलिराम राय निवासी मेरमपुर थाना राघोपुर जिला वैशाली बिहार उम्र 21 वर्ष उसके कब्जे से लाल कलर के बैग से तीन बंडल अवैध गांजा बरामद हुआ।

3.दीना कुमार पुत्र स्व राज कुमार राय निवासी मेरमपुर थाना राघोपुर जिला वैशाली बिहार उम्र करीब 20 उसके कब्जे से काले कलर के बैग से तीन बंडल अवैध गांजा बरामद हुआ।

गांजा की बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध मु.अ.सं. 570/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया हम लोगों को अवैध गांजा वाराणसी के एक व्यक्ति ने दिया है जिसे पटना बिहार ले जा रहे थे। जिसे हम उच्चे दामों पर बेचते, जिससे हमारा और हमारे परिवार का जीवन-यापन होता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रंजीत उदय कुमार पुत्र सच्चिदानन्द राय निवासी नया टोला खिरोधर पुर थाना फतुआ जिला पटना बिहार उम्र करीब 35 वर्ष।

2. शम्भू कुमार पुत्र बलिराम राय निवासी मेरमपुर थाना राघोपुर जिला वैशाली बिहार उम्र 21 वर्ष।

3. दीना कुमार पुत्र स्व राज कुमार राय निवासी मेरमपुर थाना राघोपुर जिला वैशाली बिहार उम्र करीब 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु.अ.सं. 570/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।

बरामदगी का विवरण-

9.127 कि0ग्रा0 अवैध गांजा तीन बैग में जिसकी कीमत करीब 2,00,000/- रुपये

बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक – 10.09.2026

समय – 20.25 बजे

स्थान – डीएफसीसीआईएल लाईन के पास (पेड़ के नीचे मान सरोवर पोखरा के पास) थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

उ0नि0 अनिल कुमार पासवान थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

हे0का0 सन्तोष कुमार यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

का0 प्रवेश कुमार सिह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

का0 राजेन्द्र यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

गिरफ्तार करने वाली आरपीएफ की टीम-

उ0नि0 सन्दीप कुमार आरपीएफ पोस्ट डीडीयू नगर जनपद चन्दौली

का0 राम अवध राम आरपीएफ पोस्ट डीडीयू नगर जनपद चन्दौली

का0 मनीष कुमार सीपीडीएस डीडीयू नगर जनपद चन्दौली

का0 आनन्द कुमार सीपीडीएस डीडीयू नगर जनपद चन्दौली

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 11.09.2026

□ थाना कन्दवा पुलिस द्वारा गोवध अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

□ आज गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के बैंक खातों में कुल 22 लाख रूपये का किया गया था लेन-देन।

□गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा 01 अन्तर्राज्यीय गिरोह बनाकर अवैध फंडिग के जरिए गोतस्करी को दिया जा रहा था बढावा।

पूर्व की घटना का विवरण:- दिनांक 17.04.2026 को थाना कन्दवा पुलिस टीम द्वारा बकौडी चौराहे के पास चेकिंग के दौरान कन्दवा से ककरैत की ओर जा रही एक महिन्द्रा बोलोरो पिकअप (नं0 UP65 JT 3964) को रोकने का प्रयास किया गया। पिकअप चालक ने पुलिस टीम पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया और भागने लगा। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर मौके से 02 अभियुक्तों (कमलेश बिन्द व शैलेन्द्र बिन्द) को गिरफ्तार किया गया था तथा पिकअप वाहन से क्रूरतापूर्वक बांधकर लादे गए 05 राशि गोवंश (03 बैल व 02 गाय) बरामद किए गए थे। इस संबंध में थाना कन्दवा पर मु0अ0सं0 27/2026 पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही थी।

▪□दिनांक: 21.08.2026 थाना कन्दवा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 27/2026 से सम्बंधित विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर 02 वांछित अभियुक्तों 1.जावेद अहमद पुत्र कलाम कुरैशी निवासी उसियाँ थाना दिलदार नगर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 42 वर्ष, 2.अतहर कुरैशी पुत्र मोबिन कुरैशी निवासी ग्राम डुमरी थाना दुर्गावती जिला कैमूर बिहार उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया था।

▪□दिनाँक 17.04.2026 व दिनांक: 21.08.2026 को गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों से पूछताछ व विवेचना के दौरान प्राप्त इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर (जिसमें बैंकिंग लेन देन की जांच के दौरान) यह तथ्य प्रकाश में आया कि

दिनाँक 17.04.2026 को गिरफ्तार अभियुक्त गोवंशों को पश्चिम बंगाल में ले जाकर किसी व्यक्ति को बेचते है जो आनलाइन माध्यम से लगातार गिरफ्तार अभियुक्तों के बैंक खाते में रूपये भेज रहा है। बैंक खाते के जांच के दौरान पाया गया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के बैंक खातों में अभियुक्त 1.हसनुज्जमान उर्फ जूवेल पुत्र अब्दुल कादिर, निवासी पैकर, थाना पैकर, जिला वीरभूम (पश्चिम बंगाल), उम्र करीब 36 वर्ष व 2.खेताबुल मौलिक उर्फ सिप्पन पुत्र बसिरुद्दीन मौलिक, निवासी पैकर, थाना पैकर, जिला वीरभूम (पश्चिम बंगाल), उम्र करीब 28 वर्ष द्वारा अपनी नजदीकी CSP केन्द्र पर जाकर रूपये भेज रहे थे। प्रकाश में आये दोनों अभियुक्तों की तलाश थाना स्थानीय द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी विवरण- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन व पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष विनोद कुमार अंचल के नेतृत्व में थाना कन्दवा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 27/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 109(1)/61(2)/111(2)/111(3) बी०एन०एस० से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा 01 अन्तर्राज्यीय गिरोह बनाकर अवैध फंडिग के जरिए गोतस्करी को बढावा दिया जा रहा था जिसमें गोतस्कर गोवंशो को लेकर पश्चिम बंगाल ले जाते थे।

पूछताछ विवरण:- दोनों अभियुक्त (ममेरे-फुफेरे भाई हसनुज्जमान उर्फ जूवेल व खेताबुल मौलिक उर्फ सिप्पन) वर्ष 2023 से उत्तर प्रदेश, बिहार तथा झारखण्ड से गोवंशों (गाय, बैल) की खरीद-फरोख्त कर उन्हें पश्चिम बंगाल में बेचने व सप्लाई करने के अवैध धंधे में संलिप्त हैं। पशु तस्करों को कैश ले जाने में लूट व छिनैती के भय के कारण वे ग्राहक सेवा केन्द्रों (CSP) के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवाते थे। लेन-देन के लिए वे अपने क्षेत्र के ग्राहक सेवा केन्द्रों के खातों का उपयोग कर बिहार व यूपी के तस्करों को पैसे भेजते थे। इस अवैध व्यापार में मिलने वाले मोटे कमीशन व पैसों के लालच में वे अन्य तस्करों से मिलकर गोतस्करी का कार्य करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि पूर्व में गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के बैंक खातों में उनके द्वारा कुल 22 लाख रूपये का लेन-देन किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. हसनुज्जमान उर्फ जूवेल पुत्र अब्दुल कादिर, निवासी पैकर, थाना पैकर, जिला वीरभूम (पश्चिम बंगाल), उम्र करीब 36 वर्ष।

2. खेताबुल मौलिक उर्फ सिप्पन पुत्र बसिरुद्दीन मौलिक, निवासी पैकर, थाना पैकर, जिला वीरभूम (पश्चिम बंगाल), उम्र करीब 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास:- मु0अ0सं0 27/2026, धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 109(1)/61(2)/111(2)/111(3) बी०एन०एस० (BNS), थाना कन्दवा, जनपद चन्दौली।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- थानाध्यक्ष विनोद कुमार अंचल, थाना कन्दवा, जनपद चन्दौली।
- रि0का0 शिवकुमार, थाना कन्दवा, जनपद चन्दौली।
- रि0का0 नायब यादव, थाना कन्दवा, जनपद चन्दौली।